इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 435] भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 सितम्बर 2011—आश्विन 5, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. 4663-325-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के अधीन मध्यप्रदेश के राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया निम्नलिखित अध्यादेश सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अध्यादेश
क्रमांक 2 सन् 2011

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2011

''मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)'', में दिनांक 27 सितम्बर, 2011 को प्रथम बार प्रकाशित किया गया.
भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित किया गया.

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 को और संशोधित करने हेतु अध्यादेश.

यत: राज्य के विधान-मंडल का सत्र चालू नहीं है और मध्यप्रदेश के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं जिनके कारण यह आवश्यक हो गया है कि वे तुरंत कार्यवाही करें;

अतएव, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :—

संक्षिप्त नाम.

1. (1) इस अध्यादेश का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2011 है.

(2) इस संशोधन अध्यादेश के उपबंध 1 अप्रैल, 2006 से प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे.

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2002 का अस्थायी रूप से संशोधित किया जाना.

2. इस अध्यादेश के प्रवर्तित रहने की कालावधि के दौरान, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) धारा 3 में विनिर्दिष्ट संशोधन के अध्यधीन रहते हुए प्रभावी होगा.

अनुसूची 1 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची 1 में, अनुक्रमांक 87 के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टि अन्त:स्थापित की जाए, अर्थात् :—

''88. सेल्यूलर फोन के टॉक टाइम तथा सेवा प्रभार के पूर्व भुगतान (प्री पेमेंट) के लिये रीचार्ज वाउचर.''.

भोपाल :
तारीख 26 सितम्बर 2011

रामनरेश यादव
राज्यपाल
मध्यप्रदेश.

भोपाल, दिनांक 27 सितम्बर 2011

क्र. 4664-325-इक्कीस-अ (प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अध्यादेश, 2011 (क्रमांक 2 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ORDINANCE
No. 2 of 2011.

THE MADHYA PRADESH VAT (AMENDMENT) ORDINANCE, 2011.

First published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)," dated the 27th September, 2011.

Promulgated by the Governor in the sixty-second year of the Republic of India.

An Ordinance further to amend the Madhya Pradesh Vat Act, 2002.

Whereas, the State Legislature is not in session and the Governor of Madhya Pradesh is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to take immedicate action;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (1) of article 213 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh is pleased to promulgate the following Ordinance :—

Short title.

1. (1) This Ordinance may be called the Madhya Pradesh Vat (Amendment) Ordinance, 2011.

(2) The provision of this amending Ordinance shall be deemed to have come into force from 1st April, 2006.

Madhya Pradesh Act No. 20 of 2002 to be temporarily amended.

2. During the period of operation of this Ordinance, the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No. 20 of 2002) (hereinafter referred to as the principal Act), shall have effect subject to the amendment specified in section 3.

Amendment of Schedule I.

3. In Schedule I to the principal Act, after serial number 87, the following serial number and entry relating thereto shall be inserted, namely :—

"88. Recharge voucher for pre-payment of cellular phone talk-time and service charges.".

Bhopal :
Dated the 26th September, 2011.

RAM NARESH YADAV
Governor
Madhya Pradesh.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.